कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2014 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.10.2015 को प्रातः 11.00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014, के नियम 6 (3) के अन्तर्गत गठित कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में संलग्न सूची अनुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये।

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम 6 (3) के प्रावधानों के क्रम में समस्त मुख्य वन संरक्षकों / कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से समस्त वन अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचित किया जाकर उक्त प्रावधानों के क्रम में इच्छुक कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र के केडर में समायोजित होने बाबत विकल्प पत्र चाहे गये थे। जिसकी अनुपालना में निम्नानुसार विकल्प पत्र प्राप्त हुये है।

(i) जो कर्मचारी वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित है तथा भविष्य में भी अनुसूचित क्षेत्र में ही रहना चाहते है. (कुल 696) जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम कार्यालय	विकल्प पत्र पृष्ठ संख्या
1	उप वन संरक्षक उदयपुर	1 से 144
2	उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)	145 से 180
3	उप वन संरक्षक डूंगरपुर	181 से 301
4	उप वन संरक्षक बांसवाडा	302 से 460
5	उप वन संरक्षक प्रतापगढ़	461 से 583
6	उप वन संरक्षक सिरोही	584 से 593
7	उप वन संरक्षक परियोजना बांसवाडा	594 से 609 एवं 666 से 668
8	उप वन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ़	610 से 636
9	उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमन्द	637
10	उप वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर	638 से 665
11	उप वन संरक्षक वन्यजीव माउण्ट आबू	669 से 692
12	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वर्धन जयपुर	694 से 696

(ii) जो कर्मचारी वर्तमान में गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित है तथा अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते है (कुल 09) जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम कार्यालय	विकल्प पत्र
1	उप वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर	1
2	उप वन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ़	2 से 3
3	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वर्धन जयपुर	4 से 6
4	उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा	6 (सशर्त)
5	उप वन संरक्षक जालौर	7
6	उप वन संरक्षक बाडमेर	8
7	उप वन संरक्षक इ.गा.न.परियोजना स्टेज–II जैसलमेर	9

(iii) जो कर्मचारी वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित है तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते है (कुल 32) जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम कार्यालय	विकल्प पत्र
1	उप वन संरक्षक उदयपुर	1 से 3
2	उप वन संरक्षक डूंगरपुर	4 से 6
3	उप वन संरक्षक प्रतापगढ़	7 से 9
4	उप वन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ़	10 से 17
5	उप वन संरक्षक वन्यजीव माउण्ट आबू	18 से 32

जो कर्मचारी वर्तमान में टी.एस.पी. क्षेत्र में पदस्थापित है एवं भविष्य में भी टी.एस.पी. क्षेत्र में रहना चाहते है, उनके विकल्पों का अवलोकन किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(i) क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I के कुल 14 विकल्प पत्र प्राप्त हुए है इन विकल्प पत्रों पर निर्णय राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेंवा नियम 2014 के नियम 28 (ए) के अन्तर्गत गठित कमेटी, जिसका गठन निम्नानुसार है, द्वारा लिया जाना है।

(1)	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य	अध्यक्ष
(2)	प्रशासनिक विभाग का सचिव अथवा उसकेक द्वारा मंनोनीत या उप सचिव से निम्न हो	सदस्य
(3)	कार्मिक विभाग का सचिव अथवा	सदस्य
(4)	विभागाध्यक्ष	सदस्य सचिव

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी– ग्रेड I के विकल्प पत्रों को राज्य सरकार को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–II के 29 विकल्प पत्र प्राप्त हुए है। (संलग्न एनेक्सर "ए") उक्त विकल्प पत्रों के क्रम में निर्णय राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम 28 (बी) के अन्तर्गत गठित कमेटी, जिसका गठन निम्नानुसार है, द्वारा लिया जाना है।

(1)	विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर	अध्यक्ष
(2)	विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी	सदस्य
(3)	प्रभारी प्रशासन मुख्यालय	सदस्य सचिव

संलग्न विवरणानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–II के प्राप्त विकल्प पत्रों का अवलोकन कर इन्हे टी.एस.पी. क्षेत्र में समायोजन करने का निर्णय लिया गया है।

(iii) मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के कुल 35 विकल्प पत्र प्राप्त हुए है। (संलग्न एनेक्सर "बी") उक्त विकल्प पत्रों के संबंध में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गठित कमेटी, जिसका गठन निम्नानुसार है द्वारा किया जाना है।

(1)	विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर	अध्यक्ष
(2)	वरिष्ठ उप विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3)	वरिष्ठ उप विभागाध्यक्ष	सदस्य

संलग्न विवरणानुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के विकल्प पत्रों को उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(iv) वनपाल/सहायक वनपाल/वनरक्षक/वाहन चालक/सर्वेयर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त अन्य स्टाफ हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम 28 (सी) के अन्तर्गत गठित कमेटी, जिसका गठन निम्नानुसार है:–

(1)	विभागाध्यक्ष अथवा उसका प्रतिनिधि जो भी (मुख्य वन संरक्षक से निम्न न हो)	
(2)	जिला कलक्टर अथवा उसका प्रतिनिधि	
(3)	जिला स्तरीय अधिकारी (उप वन संरक्षक)	सदस्य सचिव

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त विकल्प पत्रों की स्क्रीनिंग करने के लिए उपरोक्त कमेटी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रतिनिधि के रुप में संबंधित मुख्य वन संरक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। संबंधित मुख्य वन संरक्षक अपने स्तर से राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम 28 (सी) के प्रावधानों के अन्तर्गत कमेटी की बैठक आयोजित कर अपने क्षेत्राधिकार के विकल्प पत्रों का निस्तारण नियमानुसार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

हस्ता०

(वीरेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1)2014/ कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/11395 – 400 दिनांक 15|10|15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक एवं निजी सहायक राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/जोधपुर/वन्यजीव उदयपुर/वन्यजीव जोधपुर/आर.वी.पी.कोटा।

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित–प्रस्थापना)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर